(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, ''सूचना भवन'' अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in
TWITTER : @rahulreports

आदेश
(26/09/2023)

(1) आयोग प्रकरण में कंडिका 5 आयोग का मत में वर्णित (पेज नंबर 4,5 एवं 6) तथ्यों के आधार पर श्री लक्ष्मीदास बैरागी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सचिव ग्राम पंचायत गेहलपुर जनपद पंचायत बाड़ी, जिला–रायसेन म0प्र0 के ऊपर आयोग द्वारा अन्य प्रकरण क्रमांक ए–6922/2022 में राशि रू0 15000/– का जुर्माना पृथक से आदेश दिनांक 26/09/2023 से अधिरोपित किया गया है। प्रकरण क्रमांक ए–6927/2022 में भी पुनः श्री लक्ष्मीदास बैरागी द्वरा बार–बार अधिनियम का उल्लंघन करते हुये अपीलार्थी को जानकारी से वंचित रखा गया। इससे स्पष्ट है कि कार्यस्थल पर अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करके श्री लक्ष्मीदास बैरागी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्वयं को अधिनियम की धारा 20(2) के तहत कार्रवाई का भागी बनाया है। अतः आयोग अधिनियम की धारा 20(2) के तहत लोक प्राधिकारी – विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल म0प्र0 को अनुशंसा करता है कि वे श्री लक्ष्मीदास बैरागी तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सचिव ग्राम पंचायत गेहलपुर जनपद पंचायत बाड़ी, जिला–रायसेन म0प्र0 (वर्तमान पदस्थी – सचिव, ग्राम पंचायत अमरावद कलां, जनपद पंचायत बाड़ी, जिला रायसेन म0प्र0) पर म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण) 1965 के नियम 3(2) (ii) और नियम 3 (A) (c) के अनुरूप दायित्व का निर्वहन न करने के कारण उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष दिनांक 06/11/2023 तक प्रेषित करें।

(2) सूचना का अधिकार 2005 की धारा 19 (7) एवं (फीस तथा अपील) नियम अध्याय 4(8) (4) के तहत राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी है।

(3) आदेश की प्रति विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, "बी" विंग द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल म0प्र0 और कलेक्टर, जिला रायसेन म0प्र0 को भी उपलब्ध करायी जाये। ताकि वे अपने क्षेत्र/विभाग में सूचना के अधिकार प्रकरण के प्रति सजग रहें। उक्तानुसार अपील का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

RAHUL

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
26/09/2023